

3/1/24

फावली पैरा ड्रै र. आधि. उपास्थित,
 अपीलत एव अधिकता अपी को
 उपास्थित घने जावत न्यायालय दण
 की ओर से तीन बार आवत लगी जाव.
 परन्तु न तो अपीलत स्वयं उपास्थित हुए और
 न ही अपी. अधिकता आत सुनवाई हेतु
 उपास्थित हुए ऐसे में अपील को अनावश्यक
 रूप से विचारधीन रखा जाना उचित प्रतीत
 नहीं होता है अतः अपील अपीलत अधिक
 की अनुपास्थिती में अहम दखती में खरिज की
 जावे ही पत्रावली वास्ते निर्णित दोकर नम्बर से
 उम हो। प.स. का रिकॉर्ड लाया जावे।

अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
 जौहपुर